न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/ सीलिंग/5153/2006/ जिला बूंदी

1— रामनिवास पुत्र मोडू गुर्जर मृतक जरिये वारिसान :—
1/1. भैरूलाल पुत्र स्व0 रामनिवास
1/2. राजेन्द्र पुत्र स्व0 रामनिवास
समस्त जाति गुर्जर निवासीगण करवाला की झोपडीयां, तहसील के0पाटन जिला बूंदी।
1/3. सूरजबाई पुत्री स्व0 रामनिवास, पत्नि मुकुटबिहारी जाति गुर्जर निवासी झरणीया की झोपडियां तहसील के0पाटन जिला बूंदी।
1/4. संतोषबाई पुत्री स्व0 रामनिवास, पत्नि लालचंद जाति गुर्जर, निवासी ख्यावदा तहसील व जिला बूंदी।
2— धनराज पुत्र गोबरीलाल गुर्जर
निवासी करवाला की झोपडीयां, तहसील के0पाटन जिला बूंदी।

............अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केशोरायपाटन जिला बूंदी

.... प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री बी.एल.मेहरडा, सदस्य

उपस्थित :
श्री शंकरलाल चौधरी, अभिभाषक अपीलार्थीगण।
श्री ओ.पी.भट्ट, उप राजकीय अभिभाषक।

निर्णय

दिनांकः— —4—2021

1— हस्तगत् अपील राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 की धारा 23(2—ए) के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग बूंदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18—7—06 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2— अपील ज्ञापन के अनुसार प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी सं.1 के पिता मोडू के विरूद्ध पुराने सीलिंग कानून के अंतर्गत कार्यवाहीं कर तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी सहायक जिलाधीश बूंदी ने अपने निर्णय दिनांक 17—4—72 को खातेदार के खाते में 172 बीघा 16 बिस्वा भूमि मानकर तथा उसके परिवार के सदस्यों के बंटवारे के आधार पर पैतृक भूमि मानकर कार्यवाहीं समाप्त करने के आदेश पारित कर दिये। तत्पश्चात् राजस्थान सरकार द्वारा धारा 15(2) के अंतर्गत कार्यवाहीं कर आदेश दिनांक

7–9–82 के द्वारा प्रकरण को रिओपन करने के आदेश प्रदान कर पत्रावली अतिरिक्त जिलाधीश बूंदी को प्रेषित करते हुये दुबारा निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग बूंदी ने अपने निर्णय दिनांक 30–9–99 द्वारा 18.62 स्टेण्डर्ड एकड भूमि सीलिंग सीमा से अधिक घोषित कर अधिग्रहण करने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व मंडल में अपील प्रस्तुत की गई। राजस्व मंडल ने आदेश दिनांक 8–11–05 द्वारा प्रकरण को पुनः निर्णय हेतु अति0 जिलाधीश बूंदी को निर्देश प्रदान किये। अति0 जिला कलेक्टर बूंदी सीलिंग ने प्रकरण प्राप्त होने पर अपने निर्णय दिनांक 18–7–06 द्वारा 18.39 स्टेण्डर्ड एकड भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होना मानते हुये आदेश पारित कर दिये। उक्त निर्णय दिनांक 18–7–06 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्व मण्डल में पेश की गई है।

3– उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण पक्ष द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी है।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी मौखिक व लिखित बहस में अपील ज्ञापन में वर्णित तथ्यों व आधारों को दोहरते हुये अभिकथन किया :–

(1) कि मोडू पुत्र नारायण थे तथा मोडू के 2 पुत्र रामनिवास व गोबरीलाल है एवं गोबरीलाल के धनराज पुत्र है। इस तरह कुल भूमि मोडू के खाते की थी जो रामनिवास एवं गोबरीलाल के नाम दर्ज रिकोर्ड है।

(2) कि मोडू का पुत्र रामनिवास का घोषणा पत्र जो तहसीलदार द्वारा 1970 में प्रमाणित किया गया है, उसके अनुसार 30 वर्ष की उम्र का था जो दिनांक 1–4–66 को बालिग पुत्र था उसकों अलग युनिट मानकर निर्णय प्रदान किया जाना चाहिये था, जो नहीं किया गया। इस प्रकार दो यूनिट रखने का अधिकारी होने से 60.57 स्टेण्डर्ड एकड भूमि छोडी जानी चाहिये थी।

(3) कि अधीनस्थ न्यायालय ने स्टेर्ण्डड एकड की गणना गलत की है। भूमि चम्बल कमाण्ड में होने से समस्त भूमि सिंचित नहीं मानी जा सकती। राजस्व रिकोर्ड संवत् 2020–2021 की जमाबंदी में सींचित एवं नहरी अंकित नहीं है। टेबल नंबर 4 से भी भूमि की गणना गलत की गई है। मोडू के खाते में अंकित भूमि की किस्म वर्गीकरण की गणना टेबल नंबर 7, 5 व 9 के आधार पर करनी चाहिये थी। एक यूनिट पर स्टेण्डर्ड एकड भूमि मानी जाकर दो यूनिट पर कुल 60 स्टेण्डर्ड एकड भूमि छोडी जानी चाहिये जबकि अपीलांट के पास 50.46 स्टेण्डर्ड एकड भूमि ही पाई जाती है।

(4) कि अपीलांट के परिवार में अधीनस्थ न्यायालय ने कुल 8 सदस्य माने है इस कारण दो यूनिट बनने के बाद भी एक सदस्य पर 5 स्टेर्ण्डड एकड भूमि अतिरिक्त दिये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण के पास सीलिंग में कोई भूमि अधिशेष नहीं रहती। इस कारण उक्त भूमि सीलिंग कार्यवाही के तहत अधिग्रहण किया जाना विधि विरूद्ध है।

(5) कि खसरा नंबर 192 एवं खसरा नंबर 136 जिसके नये नबंर 183 व 190 बने है, की भूमि स्पष्टतया नारायण के खाते में थी जिसके पश्चात् उक्त भूमि मोड़ू के खाते में अंकित की गई। उक्त दोनों खसरा नंबर की भूमि को पैतृक भूमि न मानकर एवं अपीलार्थीगण का समान हिस्सा न मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने गलत आधार पर निर्णय प्रदान किया है।

उपरोक्त तर्कों के साथ विद्वान अभिभाषक का कथन है कि प्राधिकृत अधिकारी/ सहायक जिलाधीश द्वारा सीलिंग कार्यवाही समाप्त करने का विधि संगत निर्णय पारित किया गया था किन्तु अपीलीय न्यायालय द्वारा सीलिंग प्रकरण को पूर्णतः समझे बिना, नियमों के विपरीत निर्णय पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार की जावे और आलोच्य निर्णय दिनांक 18–7–06 को अपास्त किया जावे। अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने 1986 आरआरडी पेज 14, 113 एवं 540 एवं 1977 आरआरडी पेज 583 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

5– उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय न्यायालय ने सम्पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण करने के पश्चात ही प्रकरण का निस्तारण किया है। विवादित आराजी रिकोर्ड के आधार पर पैतृक होना सिद्ध नहीं है। अतः विवादित आराजी को पैतृक भूमि नहीं माना जा सकता। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–7–06 में विधि अथवा तथ्य सम्बन्धी ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर उसमें हस्तक्षेप अपेक्षित हो। अतः अपील खारिज की जावे।

6– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय, अपील ज्ञापन के तथ्यों व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का गहनता से आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया।

7– वर्तमान अपील में हमारे समक्ष अपीलार्थी ने मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि ऐसेसी मोडू द्वारा परिवार के सबंध में दिये गये घोषणा पत्र में उसके पुत्र रामनिवास की आयु 30 वर्ष अंकित की गई थी और इस तथ्य को तहसीलदार द्वारा प्रमाणित भी किया गया था। ऐसी स्थिति में रामनिवास को अलग युनिट मानते हुये निर्णय प्रदान किया जाना चाहिये था, किंतु ऐसा नहीं किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में दिनांक 1–4–66 को भूमिधारी के परिवार में सदस्यों की संख्या–8 मानी जाकर निर्णय पारित किया गया है जबकि रामनिवास के बालिग होने के आधार पर उसे अलग यूनिट का अधिकारी माने जाने के सबंध में कोई निष्कर्ष अंकित नहीं किया गया है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने माननीय राजस्व मंडल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8–11–05 की अनुपालना में केवल पुराने एवं नये खसरा नंबरों के मिलान तथा भूमि की सही गणना के दो बिन्दुओं पर ही निर्णय पारित किया है। जबकि राजस्व मंडल के निर्णय दिनांक

8–11–05 के विरूद्ध प्रस्तुत रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10–4–06 को निर्णय पारित करते हुये निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये थे :–

"Having considered the submission of the petitioner, the petitioner is permitted to raise additional pleas also before the Additional Collector, Bundi which are permitted under the law and the Additional Collector, Bundi without being prejudiced to the observations made by the Board of Revenue shall decide the matter afresh after giving opportunity of being heard to both the parties."

8– माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय से स्पष्ट है कि मंडल के निर्णय में भूमि के पैतृक होने एंव परिवार के सदस्यों के आधार पर भूमि धारित करने की अधिकारिता के सबंध में जो प्रेक्षण अंकित किये गये थे, अति0 जिला कलेक्टर को उनसे प्रभावित हुये बिना प्रकरण का समस्त बिन्दुओं पर उभय पक्ष को सुनकर नये सिरे से निर्णय पारित करना था। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी परिवार के सदस्यों एवं बालिग पुत्र द्वारा धारण करने योग्य भूमि के आधार पर अपने प्रकरण का निस्तारण कराने हेतु स्वतंत्र था, किंतु अति0 जिला कलेक्टर ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यद्यपि अपीलार्थी ने भूमि के वर्गीकरण के आधार पर की गई गणना के सबंध में भी आपत्तियां उठाई है किंतु हम उन पर विचार करने से पूर्व परिवार के सदस्यों की स्थिति के आधार पर निर्धारिती प्रार्थीगण द्वारा धारण किये जाने योग्य भूमि की गणना करना उपयुक्त समझते है। अभिलेख पर उपलब्ध घोषणा पत्र से यह तथ्य पूर्णतः स्पष्ट है कि भूमिधारी द्वारा परिवार के सबंध में की गई घोषणा में रामनिवास की आयु 30 वर्ष अंकित की गई थी, जिसको तहसीलदार द्वारा वर्ष 1970 में प्रमाणित भी किया गया था। ऐसी स्थिति में यदि 1–4–66 के आधार पर भी पारिवारिक स्थिति का आंकलन किया जावे तो रामनिवास 26 वर्ष का था और वयस्क पुत्र होने के नाते वह अलग युनिट धारित करने का अधिकारी होता है। इस क्रम में हम 1977 आरआरडी पेज 583 के न्यायिक दृष्टांत को उद्घृरित करना उचित समझते है, जो निम्नानुसार हैः–

"Raj. Imposition of Ceiling on Agrl. Holdings Act, Secs. 2(f) & (m)- Family and separate unit- Notice, issued under new Act and declaration also filed but case, decided by lower courts taking 1.4.66 as appointed date-One adult son having his wife and children, shown in declaration, filed by assessee-appellant – only one unit for assessee, allowed by A.O. and order, upheld by Addl. Collector-Propriety-Assessee and his

adult son should have been allowed separate unit—Allowing only one unit, held wrong – 1976 RRD 595, relied on- According to definition of family in sec. 2(f), appellant must be deemed to have two separate units- Adult son, his wife and children shall constitute another family for which a separate unit as defined in Sec. 2(m) must be allowed- Fact that his children not born on 1.4.66, immaterial since relevant date is 1.1.73- Orders, set aside."

9– उक्त न्यायिक दृष्टांत एवं वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से यह स्पष्टतया साबित होता है कि भूमिधारी मोडू द्वारा की गई परिवार की घोषणा में दिनांक 1–4–66 को रामनिवास बालिग पुत्र होने के आधार पर अलग यूनिट माना जाकर 30 स्टेण्डर्ड एकड भूमि पृथक से रखने का अधिकारी था। अति0 जिला कलेक्टर ने अपने निर्णय में भूमिधारी के पास 63.39 स्टेण्र्डड एकड भूमि होने की गणना की है तथा परिवार के सदस्यों के आधार पर भूमिधारी को 45 स्टेण्डर्ड एकड भूमि धारित करने का अधिकारी माना है। जैसा कि उपर विवेचन किया जा चुका है कि रामनिवास दिनांक 1–4–66 को बालिग पुत्र होने के आधार पर सीलिंग अधिनियम के प्रावधान अनुसार पृथक यूनिट माना जाकर 30 स्टेण्र्डड एकड भूमि धारित करने का अधिकारी था। अतः भूमिधारी स्वयं के 30 स्टेण्र्डड एकड भूमि तथा बालिग पुत्र रामनिवास हेतु 30 स्टेण्र्डड एकड भूमि एवं परिवार के अन्य सदस्यों हेतु 10 स्टेण्र्डड एकड भूमि कुल 70 स्टेण्र्डड एकड धारित करने के अधिकारी होते है जबकि निर्धारिती के खाते में 63.39 स्टेण्र्डड एकड भूमि ही अंकित है। ऐसी स्थिति में उनके पास सीलिंग सीमा से अधिक अधिग्रहण योग्य भूमि शेष नहीं रहती है।

10– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर सीलिंग अपील संख्या 58/सी/06 में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बूंदी द्वारा पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 18–7–06 को एतदद्वारा अपास्त किया जाता है तथा भूमिधारी के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि अधिशेष नहीं होने के कारण सीलिंग कार्यवाहीं समाप्त की जाती है। यदि सीलिंग कार्यवाहीं के कारण भूमिधारी की भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गई हो तो उसे पुनः अपीलार्थी के खाते में दर्ज की जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी.एल.मेहरडा)
सदस्य